



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3265]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2017/अग्रहायण 2, 1939

No. 3265]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2017/AGRAHAYANA 2, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

बधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2017

का.आ. 3719(अ).—यतः, मै. मंगलौर एस ई जेड लिमिटेड ने कर्नाटक राज्य में मंगलौर के निकट, दक्षिण कन्नड जिले के बाइकमपाड़ी में पेट्रोरसायन तथा पेट्रोलियम के लिए एक क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्युक्त उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित एवं अनधिसूचित किया जिनका विवरण इस प्रकार है;

क्रम सं.	बधिसूचना संख्या	दिनांक	बधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में	अनधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में	कुल योग हेक्टेयर में
(i)	का.आ. 1885 (अ)	06.11.2007	587.921	-	587.921
(ii)	का.आ. 1477 (अ)	28.06.2011	55.776	$5.641+17.316=22.957$	620.740
(iii)	का.आ. 1909 (अ)	18.08.2011	4.046	-	624.786
(iv)	का.आ. 2298 (अ)	08.09.2014	35.0163	4.2980	655.5043

और यतः, उपर उल्लिखित एस ई जेड का क्षेत्र दिनांक 16 सितम्बर 2013 के अनुमोदन पत्र सं. एफ. 2/120/2006-एस ई जेड के तहत “पेट्रो रसायन तथा पेट्रोलियम” से बदलकर “बहु-उत्पाद” किया गया;

और यतः, मै. मंगलौर एस ई जेड लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 4.8722 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, कर्नाटक सरकार ने उनके दिनांक 03.10.2017 के पत्र सं. वीटीपीसी/एम.डी/एम.एसईजेड-एनओसी/2017-18, के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, मंगलौर विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 4.8722 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बद्धित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा **4.8722 हेक्टेयर** के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र **650.6321 हेक्टेयर** हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थातः-

तालिका

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	गाँव का नाम	प्रस्तावित अनधिसूचित क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1.	33/4	पार्ट	कलावरू	0.0904
2.	33/7	पार्ट		0.2485
3.	33/8	पार्ट		0.0271
4.	33/9	पार्ट		0.0097
5.	101/1	पार्ट		0.0283
6.	34/3	पार्ट		0.0200
7.	34/4बी	पार्ट		0.0031
8.	34/5	पार्ट		0.1105
9.	34/6	पार्ट		0.0425
10.	35/4	पार्ट		0.0458
11.	95/4	पार्ट		0.2380
12.	95/1	पार्ट		0.0946
13.	49/1	पार्ट		0.0658
14.	49/2	पार्ट		0.0629
15.	48/1	पार्ट		0.1412
16.	48/11	पार्ट		0.0547
17.	47/1	पार्ट		0.0100
18.	47/2	पार्ट		0.0741
19.	47/11बी	पार्ट		0.0414
20.	47/11ए	पार्ट		0.0308
21.	47/12	पार्ट		0.0686
22.	47/10	पार्ट		0.0328
23.	47/9	पार्ट		0.0526
24.	47/8	पार्ट		0.0531
25.	47/7	पार्ट		0.0723
26.	47/6	पार्ट		0.0384
27.	46	पार्ट		0.0247
28.	66/4ए3	पार्ट		0.0828
29.	66/4ए2	पार्ट		0.2408
30.	54/1	पार्ट		0.2137
31.	54/3	पार्ट		0.0992
32.	54/2	पार्ट		0.1970
33.	54/4ए	पार्ट		0.2046
34.	54/15	पार्ट		0.3339

35.	54/5	पार्ट		0.0178
36.	54/21&22	पार्ट		0.1947
37.	54/12	पार्ट		0.0045
38.	54/14	पार्ट		0.4223
39.	6/5	पार्ट	62, थोकुर	0.0486
40.	6/1	पार्ट		0.4361
41.	6/2पी1	पार्ट		0.2525
42.	10/3	पार्ट		0.2157
43.	10/6	पार्ट		0.0146
44.	10/10	पार्ट		0.0081
45.	10/7	पार्ट		0.0032
46.	10/8	पार्ट		0.0202
47.	10/13	पार्ट		0.0132
48.	9/1	पार्ट		0.0530
49.	9/9	पार्ट		0.0081
50.	5/8	फुल		0.0061
		कुल		4.8722
		उपर्युक्त घटाव के बाद एस. ई. जेड का कुल क्षेत्र		650.6321

[फा. सं. एफ. 2/120/2006-एस.ई.जेड]

सुनील कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2017

S.O. 3719(E).—Whereas, M/s. Mangalore SEZ Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Petrochemicals and Petroleum at Baikampady, Near Mangalore, District Dakshin Kannada in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below:-

S.No.	Notification No.	Date	Notified Area in Hectares	De-notified area in hectares	Total Area in Hectares
(i)	S.O. 1885 (E)	06.11.2007	587.921	-	587.921
(ii)	S.O. 1477 (E)	28.06.2011	55.776	5.641+17.316=22.957	620.740
(iii)	S.O. 1909 (E)	18.08.2011	4.046	-	624.786
(iv)	S. O. 2298 (E)	08.09.2014	35.0163	4.2980	655.5043

AND, WHEREAS, the sector the above mentioned SEZ was changed from “Petrochemicals and Petroleum” to “multi product” vide approval letter No.F.2./120/2006-SEZ dated 16th September, 2013;

AND, WHEREAS, M/s Mangalore SEZ Limited has now proposed for de-notification of 4.8722 hectares at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its approval to the proposal vide letter No. VTPC/MD/MSEZ-NOC/2017-18, dated 03.10.2017;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Mangalore Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 4.8722 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 4.8722 hectares**, thereby making resultant area as **650.6321 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S.No.	Survey No.		Name of Village	Proposed denotified area in hectares
1.	33/4	part	Kalavar	0.0904
2.	33/7	part		0.2485
3.	33/8	part		0.0271
4.	33/9	part		0.0097
5.	101/1	part		0.0283
6.	34/3	part		0.0200
7.	34/4B	part		0.0031
8.	34/5	part		0.1105
9.	34/6	part		0.0425
10.	35/4	part		0.0458
11.	95/4	part		0.2380
12.	95/1	part		0.0946
13.	49/1	part		0.0658
14.	49/2	part		0.0629
15.	48/1	part		0.1412
16.	48/11	part		0.0547
17.	47/1	part		0.0100
18.	47/2	part		0.0741
19.	47/11B	part		0.0414
20.	47/11A	part		0.0308
21.	47/12	part		0.0686
22.	47/10	part		0.0328
23.	47/9	part		0.0526
24.	47/8	part		0.0531
25.	47/7	part		0.0723
26.	47/6	part		0.0384
27.	46	part		0.0247
28.	66/4A3	part		0.0828
29.	66/4A2	part		0.2408
30.	54/1	part		0.2137
31.	54/3	part		0.0992
32.	54/2	part		0.1970
33.	54/4A	part		0.2046
34.	54/15	part		0.3339
35.	54/5	part		0.0178
36.	54/21&22	part		0.1947
37.	54/12	part		0.0045
38.	54/14	part		0.4223
39.	6/5	part	62, Thokur	0.0486
40.	6/1	part		0.4361
41.	6/2P1	part		0.2525
42.	10/3	part		0.2157
43.	10/6	part		0.0146
44.	10/10	part		0.0081

45.	10/7	part		0.0032
46.	10/8	part		0.0202
47.	10/13	part		0.0132
48.	9/1	part		0.0530
49.	9/9	part		0.0081
50.	5/8	full		0.0061
	Total			4.8722
	Grand total area of SEZ after above deletion			650.6321

[F. No. F. 2/120/2006-SEZ]

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.